न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/32/2014

उनवान

1. सांवताराम पुत्र गोकल जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. घासी आत्मज गोकल जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा
3. श्रीमती श्यामा पुत्री गोकल जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा
4. नारायण पुत्र ईशर जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. देवकरण पुत्र गणपता जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर
2. सुरजकरण पुत्र गणपत जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर
3. श्रीमती रसाली पत्नी गणपत जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर
4. जसराज पुत्र गणेश जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर
5. नन्दकिशोर पुत्र गणेश जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. श्रीमती शांति पत्नी गणेश जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर

रेस्पोडेण्ट्स/वादीगण

7. गोपाल पुत्र ईशर जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 239/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री दिनेश तिवाडी ,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हरिपुरा पटवार हल्का तस्वारिया तहसील हुरडा की शरहद में बन्दोबस्त से पूर्व जमाबंदी संवत 2021 से 2024 के अनुसार मिश्री, हरदेव, गोकल, पन्ना, ईशर, पिता सोनाथ जाट के नाम राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 209/1, 218/1 कुल किता 15 रकबा 34 बीघा 09 बिस्वा स्थित है। साथ ही चाह आराजी संख्या 187 रकबा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

05 बिस्वा में भी मिश्री, हरदेव, गोकल, पन्ना, ईशर पिता सोनाथ जाट का 1/2 हिस्सा निहित था। उक्त आराजियात के बाद बन्दोबस्त हाल आराजी नम्बर 520, 521, 522, 529, 532, 534 लगायत 540, 553, 554, 557, 558, 559, 561, 567 कुल किता 19 रकबा 47 बीघा 08 बिस्वा भूमि तथा चाह आराजी संख्या 187 के हाल आराजी नम्बर 533 कायम हुए। बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान मिश्री, हरदेव, गोकल, पन्ना, ईशर पिता सोनाथ जाट का नाम ही दोहरान किया जाना था । लेकिन खसरा मिलान देखने से ज्ञात होता है कि गत भू–माप वाले कॉलम संख्या 23 में तत्समय गोकल, पन्ना, ईशर का नाम ही लिखा गया था। लेकिन तत्काल ही इस त्रुटि का ज्ञान होने से मिलान शीट में मिश्री, हरदेव, का नाम पुनः मिलान शीट में दर्ज किया गया । लेकिन मिलान शीट में किये गये इस सुधार का ध्यान सेटलमेण्ट के बाद कायम हुई जमाबंदी में नहीं रखने के कारण मात्र गोकल, पन्ना, ईशर पिता सोनाथ जाट का नाम ही दर्ज कर दिया गया । राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों की त्रुटि एवं लापरवाही के कारण मिश्री एवं हरदेव का नाम बिना किसी कारण से हटा दिया गया । हरदेव पिता सोनाथ जाट का निधन हो चुका है। हरदेव के दो पुत्र गणपत व गणेश हुए जिनका निधन हो गया है। वादी संख्या 1 से 3 गणपत के वारिस है । वादी संख्या 4 से 6 गणेश के वारिस हैं । वादीगण हरदेव के वारिस होकर हरदेव के हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

2. बन्दोबस्त पूर्व के खातेदार मिश्री, हरदेव, गोकल, पन्ना, ईशर पिता सोनाथ जाट में से मिश्री व पन्ना ला औलाद फौत हो चुके है । इस कारण इन दोनों का हक हिस्सा तीनों भाईयों अर्थात हरदेव, गोकल, ईशर में समान रूप से निहित हुआ है। लेकिन सेटलमेंण्ट कार्यवाही के दौरान हुई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त आशय की त्रुटि के कारण वादीगण के पूर्वज हरदेव का नाम इन्द्राज नहीं किये जाने के कारण रेकार्ड में मात्र गोकल, ईशर, का नाम ही दर्ज रह गया । गोकल व ईशर के निधन के बाद प्रतिवादीगण जो कि गोकल व ईशर के वारिस है उनका नाम दर्ज कर दिया गया । जबकि वादीगण का वाद पत्र में वर्णित आराजियात में 1/3 हक हिस्सा है तथा 1/3 हक हिस्से पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। चाह आराजी संख्या 533 के 1/6 हक हिस्से का उपयोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का गोकल व ईशर का वारिस होने से 2/3 हक हिस्सा ही है तथा चाह आराजी में 1/3 हक हिस्सा है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण इतने लम्बे समय तक मौके पर कब्जे संबंधी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ । हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में प्रतिवादीगण को यह ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकार्ड में हुए उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण वादग्रस्त आराजियात पूर्णरूप से प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है । जो प्रतिवादीगण, वादीगण को इस आशय की धमकियॉ देने लगे की जमीन को पोसीदातौर पर विक्रय खुर्द बुर्द एवं भारग्रहित करने की धमकियॉ भी दी जाने लगी। वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी आग्रह किया कि मात्र राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही एवं त्रुटियों के कारण इन्द्राज गलत हुआ है । इस कारण आपसी सहमति से राजस्व अधिकारियों के समक्ष सहमति प्रदान कर इन्द्राज को दुरूस्त करवा लें लेकिन प्रतिवादीगण ने दिनांक 1.7.2011 को स्पष्ट रूप से इन्द्राज को दुरूस्त कराने से इंकार कर दिया । इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश करना आवश्यक हो गया । अंत में अंकित किया गया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कॉलम संख्या 2 में वर्णित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात का वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की डिक्री फरमाई जावे तथा चाह आराजी संख्या 533 के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित हाल आराजियात के 1/3 हिस्से पर एवं चाह संख्या 533 के 1/6 हक हिस्से पर वादीगण के कब्जेकाश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा तथा वादग्रस्त आराजियात को विक्रय हस्तान्तरित खुर्द बुर्द एवं भारग्रहित नहीं करें तथा करावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

6. अधिवक्ता अपीलाण्ट्स का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में सम्मन की तामील होने के उपरान्त अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता को नियुक्त किया एवं अधिवक्ता ने अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण को यह कि मामले को मैं देख लूंगा । आवश्यकता होगी तो आपको बुला लिया जायेगा। प्रतिवादीगण ने मसूदा से पुराना रेकार्ड निकलवाकर अपने अधिवक्ता को दिया । अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा कोई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सूचना नहीं दी गई। इस कारण अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । जिससे अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। अधिवक्ता की लापरवाही का दण्ड पक्षकार को कतई नही दिया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण का यह कथन कि भू प्रबन्ध से पूर्व उनके पूर्वज का नाम राजस्व रेकार्ड से हटा दिया गया है यह गलत तथ्य है। वादीगण/रेस्पोडेण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। वास्तविक तथ्य यह है कि वादीगण/रेस्पोडेण्ट्स के दादा काफी वर्षो पूर्व ही अपने ही परिवार के सूंडा वल्द धूला जाट निवासी बाडिया किशनपुरा मजरा शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर के यहॉ जाति रस्म रिवाज अनुसार विधिवत गोद चले गये थे। वहॉ पर सूंडा की जायदादों पर काबिज हो गये। इतना ही नही सूडा की मृत्यु के उपरान्त उनके खातेदारी हक व अधिकार की आराजियात जो कि राजस्व ग्राम शेरगढ तहसील मसूदा में स्थित है का नामान्तरकरण वादीगण के मौरूस हरदेव के नाम पर गोद पुत्र होने से फैसल किया गया । आज भी उक्त आराजियात हरदेव व उसके पुत्रों गणपत, गणेश व उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण के नाम पर अभिलिखित चली आ रही है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के यहॉ गोद चला जाता है तो प्राकृतिक पिता की सम्पदाओं में उसके समस्त हक व अधिकार समाप्त होकर गोद पिता की सम्पदाओं में निहित हो जाते है। इस प्रकार हरदेव का सोनाथ की सम्पदाओं में कोई हक व हिस्सा गोद चले जाने से नहीं रहता है। इसी कारण विवादित राजस्व रेकार्ड में हरदेव का नाम विलोपित किया गया है। उक्त सारे तथ्यों की जानकारी वादीगण को होते हुए भी उसे छुपाकर यह वाद पेश किया गया है। जो किसी भी कदर पोषणीय नहीं होते हुए भी अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय ने वादीगण का वाद पत्र खारिज न कर उनके पक्ष में डिक्री कर गंभीर विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

7. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि हरदेव का सोनाथ की सम्पदाओं में कोई हक व हिस्सा गोद चले जाने से नहीं रहता है। इस तथ्य की जानकारी वादीगण के पिता गणपत व गणेश को थी तथा हरदेव जी को भी थी। इसलिए उन्होनें कभी कोई वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। जबकि वादीगण गणपत एवं गणेश के पुत्र है जो हरदेव के फुटस्टेप पर आये हैं। लेकिन वादीगण उनके पूर्वजों द्वारा आपत्ति नहीं किये जाने से स्टोप्ड हैं।

8. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि जिस समय वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया तब न तो वे वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार थे एवं न ही उनका कभी कब्जा ही रहा था न ही वादीगण कभी हरिपुरा में रहे । वादीगण का वाद जाहिरा तौर पर मियाद बाहर होते हुए भी वादीगण/रेस्पोडेण्ट्स का वाद पत्र खारिज नही करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है।

9. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपने वाद को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित नहीं कराया है। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का बिना अवलोकन किये ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

10. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात भू प्रबन्ध से पूर्व संवत 2021 से 2024 में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 6 के दादा जी हरदेव जी का भी नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। वादग्रस्त आराजियात मिश्री,हरदेव, गोकल, पन्ना, ईशर पिता सोनाथ के नाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। वादग्रस्त आराजियात एवं आता चाह में प्रत्यर्थीगण के दादा जी का हक हिस्सा निहित था। भू प्रबन्ध के दौरान खातेदारी मिश्री, हरदेव, गोकल, पन्ना, ईशर पिता सोनाथ जाट का नाम ही दोहरान किया जाना था। परन्तु खसरा मिलान में गत भू माप वाले कॉलम संख्या 23 में तत्सयम गोकल, पन्ना, ईशर का नाम ही लिखा गया । तत्काल ही इस त्रुटि का ज्ञान होने से मिलान शीट में मिश्री व हरदेव का नाम तो पुनः लिख दिया गया परन्तु बाद में तैयार की गई जमाबंदी में मात्र गोकल, पन्ना व ईशर पिता सोनाथ का नाम ही दर्ज किया गया । राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की गलती से मिश्री व हरदेव का नाम नहीं लिखा गया । राजस्व रेकार्ड से इस तथ्य की पुष्टि होती है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होकर प्रत्यर्थीगण का उसमें हक हिस्सा निहित था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जब संवत 2022 में ही हरदेव जी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका था। जो भू प्रबन्ध के दौरान हटाया गया है । अपने पिता की सम्पति में मेरा नाम पूर्व से ही निहित था। जिसमें उसको अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजाता का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 2021 से 2024 प्रदर्श 3 का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार मौजा हरिपुरा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजियात साबिक आराजी नमबर 172, 173, 174, 176,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 209/1, 218/1 कुल किता 15 कुल रकबा 34 बीघा 09 बिस्वा भूमि मिश्री, हरदेव, गोकल, पन्ना, ईशर पिता सोनाथ जाट के नाम दर्ज रेकार्ड रही थी। प्रदर्श 2 खसरा संवत 2021 से 2022 जो कि सेटलमेण्ट विभाग द्वारा तैयार किया गया है उसके अनुसार साबिक आराजी नम्बर नमबर 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 209/1, 218/1 के नवीन आराजी नम्बर 520, 521, 522, 529, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 553, 554, 557, 558, 559, 561 एवं 567 बनाये गये हैं। उक्त खसरा के कॉलम संख्या 23 में जहॉ कृषक गत भू माप में मिश्री, हरदेव, पन्ना, गोकल, ईशर पिता सोनाथ जाट का नाम दर्ज रहा है और इसी खसरा के कॉलम नम्बर 24 में नाम कृषक हाल के रूप में गोकल, पन्ना ईशर पिता सोनाथ का नाम अंकन किया गया है। इस प्रकार साबिक खातेदारों में से मिश्री व हरदेव का नाम दर्ज होने से रहना प्रमाणित है। बन्दोबस्त के पश्चात जो जमाबंदी संवत 2030 से 2033 तैयार की गई है उसमें भी गोकल, पन्ना, ईशर पिता सोनाथ जाट का ही नाम दर्ज किया गया है। जो खातेदार पन्ना के ला औलाद फौत हो जाने से गोकल तथा ईशर के वारिसान का नाम लगातार दर्ज चला आ रहा है।

13. प्रत्यर्थीगण/वादीगण का कथन कि मिश्री व हरदेव का नाम भू प्रबन्ध के बाद के राजस्व रेकार्ड में रह गया था तथा मिश्री व पन्ना ला औलाद फौत हो गये इस कारण अब शेष रहे पक्षकारान में हरदेव, गोकल व ईशर का 1/3, 1/3 हक हिस्सा रह जाता है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण/वादीगण संख्या 1 से 6 हरदेव के पुत्र गणपत व गणेश के पुत्र है । जिनका वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हक हिस्सा निहित हो जाता है। मिश्री व पन्ना के ला औलाद फौत होने संबंधी दस्तावेज न तो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये एवं न ही न्यायालय हाजा में ही प्रस्तुत किये । वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गोकल व ईशर के वारिसान जो कि प्रतिवादीगण थे। जिनका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज था के साथ मिश्री, हरदेव व पन्ना का नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज किये जाने के साथ ही तहसीलदार हुरडा को मिश्री, पन्ना व हरदेव के वारिसान की जांच कर विधिसम्मत नामान्तरकरण खोलने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत है।

14. जहॉ तक अपीलाण्ट का कथन कि हरदेव ग्राम शेरगढ में सूण्डा जाट के यहॉ गोद चला गया था। इस बाबत उनके द्वारा राजस्व रेकार्ड भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त राजस्व रेकार्ड संवत 2023 से 2026 एवं उसके बाद का है। जबकि यदि कोई सहखातेदार अपने पिता के जीवन काल में ही किसी के यहॉ गोद चला जाता है तो उसका उसके पैतृक सम्पदाओं में हक अधिकार समाप्त हो जाता है। अपीलाधीन मामले में हरदेव का नाम अपनी पैतृक आराजियात में जमाबंदी संवत 2021 से 24 में हरदेव का नाम अंकित है। भू प्रबन्ध के खसरा संवत 2021 में भी गत कृषक के कॉलम में हरदेव व मिश्री का नाम पन्ना, ईशर व गोकल के साथ दर्ज रेकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादी को दिनांक 3.10.2011 को जरिये अभिभाषक उपस्थित होने के बाद जवाब हेतु युक्तियुक्त अवसर दिये जाकर दिनांक 1.4.2013 को जवाब बन्द किये गये। अतः अपीलार्थीगण का यह कथन कि उन्हें युक्तियुक्त अवसर नहीं मिला, सही प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हरदेव का नाम भू प्रबन्ध के दौरान दर्ज नहीं किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण हरदेव का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हाल आराजी नम्बर में दर्ज किये जाने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

15. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 10.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

10/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/32/2014

उनवान

1. सांवताराम पुत्र गोकल जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. घासी आत्मज गोकल जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा
3. श्रीमती श्यामा पुत्री गोकल जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा
4. नारायण पुत्र ईशर जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. देवकरण पुत्र गणपता जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर
2. सुरजकरण पुत्र गणपत जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर
3. श्रीमती रसाली पत्नी गणपत जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर
4. जसराज पुत्र गणेश जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर
5. नन्दकिशोर पुत्र गणेश जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर
6. श्रीमती शांति पत्नी गणेश जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर

रेस्पोडेण्ट्स/वादीगण

7. गोपाल पुत्र ईशर जाट निवासी हरिपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 239/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2013

अधिवक्तागण :–

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/32/2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 10.8.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर सी सारस्वत वकील एवं प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण एवं राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 10.8.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2013 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 10.8.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

10/8/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ी

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस